निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 220 / 2020

तारीख दायरा 08.12.2020

उनवान

1. छोटूलाल आयु 37 वर्ष पुत्र ग्यारस्या जाति माली ।
2. बिरधी बाई पत्नि ग्यारस्या जाति माली।
3. राजेन्द्र उर्फ राजु पुत्र ग्यारस्या जाति माली निवासीगण कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील वादी)

दिनांक :– 23.03.2021

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है [illegible] ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के शामलाती [illegible] कब्जे काश्त की आराजी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के माल में निम्नलिखित खसरा नम्बरान की आराजी स्थित

क्रं.सं.	खसरा नं0	रकबा
1	2341	रकबा 0.55 हैक्टर
2	2343	रकबा 0.15 हैक्टर
3	2344	रकबा 0.58 हैक्टर

4	2345	रकबा 0.26 हैक्टर
5	2347	रकबा 0.31 हैक्टर
6	2350	रकबा 0.25 हैक्टर
7	2351	रकबा 0.59 हैक्टर
8	2355	रकबा 0.10 हैक्टर
9	2359	रकबा 0.14 हैक्टर
10	2360	रकबा 0.12 हैक्टर
11	2361	रकबा 0.10 हैक्टर
12	2362	रकबा 0.23 हैक्टर
13	2363	रकबा 0.15 हैक्टर
14	2364	रकबा 0.43 हैक्टर
15	2365	रकबा 0.17 हैक्टर
16	2366	रकबा 0.53 हैक्टर
17	2367	रकबा 0.61 हैक्टर
18	2370	रकबा 0.48 हैक्टर
19	2372	रकबा 0.37 हैक्टर
कुल	19 किता	रकबा 6.12 हैक्टर

वादीगण का पैतृक शजरा निम्न प्रकार है :–

ग्यारस्या

बिरधी बाई पत्नि — छोटूलाल — [illegible]न्द्र उर्फ राजू

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजी में वादीगण के पिता ग्यारस्या का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था तथा उनकी मृत्यु के बाद हमारा प्रत्येक का 1/9 हिस्सा दर्ज हुआ। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने ग्यारस्या की मृत्यु के बाद जो फौती इन्तकाल दर्ज किया उनसमें वादी छोटूलाल का नाम सहवन से राजू दर्ज कर दिया जबकि ग्यारस्या के राजू नाम का कोई लडका ही नहीं

है। राजू राजेन्द्र को ही घर पर कहते है। वादीगण ग्यारस्या जी के वैध वारिसान है। जिसमें प्रत्येक के 1/9 हिस्सा राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया गया परन्तु वादी छोटूलाल के स्थान पर राजू राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में छोटूलाल के स्थान पर राजू दर्ज कर दिये जाने से वादी को काफी परेशानी उठानी पड रही है। वादी को यदि किसान केडिट कार्ड लेना हो तो उसमें भी काफी दिक्कत आ रही है। जिसमें वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि राजस्व रिकार्ड में अपना नाम राजू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज करवावें। जिसके लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण ने प्रतिवादी राजस्व कर्मचारियों से उक्त नाम दुरस्त करने की कहा परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने नाम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया तथा दिनांक 04.12.2020 को नकल प्राप्त करने पर पुनः दिसम्बर में दिनांक 04.12.2020 को ही पटवारी हलका से कहने पर उसने साफ इन्कार करने पर वाद कारण दिसम्बर 04.12.2020 को उत्पन्न हुआ।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में वादी कम 1 छोटूलाल का राजू के स्थान पर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती फरमाई जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाब देही का अवसर दिया गया प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया, अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में वादी सं. 1 व 2 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के हक में वाद को डिकी किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन [illegible] उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का [illegible] किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम सांगोद तहसील सांगोद में स्थित ख.न. 2341, 2343, 2344, 2345, 2347, 2350, 2351, 2355, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2370, 2372 कुल 19 किता की कुल 6.12 है. आराजी में सहवन से दर्ज वादी सं.1 के नाम राजू पुत्र ग्यारस्या को दुरस्त कर छोटूलाल पुत्र ग्यारस्या दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त

कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.18 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested